कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अक्टूबर **2019** माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. "आरंभ" शीर्षक वाले संयुक्त आधारभूत पाठ्यक्रम के छह (06) दिवसीय समारोह का आयोजन 26.10.2019 से 31.10.2019 केवड़िया, गुजरात में एकता की मूर्ति (स्टेच्यू ऑफ यूनिटी) पर आयोजित किया गया है। समारोह का केंद्रीय विषय "इंडिया अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी@75" था। 26 अक्तूबर को सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को छह दिवसीय समारोह के बारे में संक्षेप में बताया गया था और उन्होंने एकता की मूर्ति का दौरा किया। 27 अक्तूबर को उन्होंने ग्रामीणों के साथ दिपावली मनाने के लिए जनजातीय क्षेत्र में स्थित ग्रामों का दौरा किया। 28 अक्तूबर, 2019 का मुख्य विषय अर्थव्यवस्था था। विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मालपास्स ने भी 28 अक्तूबर, 2019 को सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। 29 अक्तूबर और 30 अक्तूबर, 2019 को विषयवस्तु क्रमश: प्रौद्योगिकी और समाज थी। समारोह में भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य प्रख्यात वक्ता उपस्थित हुए और मंत्रिमंडलीय सचिव ने अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित किया था। माननीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के निजी सचिव और सचिव (कार्मिक) ने 31.10.2019 को समारोह में उपस्थित हुए और माननीय प्रधानमंत्री ने सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम का विदाई भाषण दिया।
2. माननीय प्रधानमंत्री ने 01.10.2019 को आयोजित किये गए विदाई समारोह के दौरान 2017 बैच के आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया।
3. मंत्रिमण्डलीय नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा विभिन्न अनुसूची क एवं ख केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 21 मामलों (06 सीएमडी/एमडी और 15 कार्यात्मक निदेशकों) में नियुक्तियों को अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त , विभिन्न अधिकरणों/सांविधिक निकायों/प्राधिकरणों/आयोगों में अध्यक्षों/सदस्यों की ग्यारह (11) नियुक्तियों, स्वायत्तशासी निकायों/संस्थानों में मुख्य कार्यपालक की चार (04) नियुक्तियों, मंत्रियों के निजी सचिव की नियुक्ति संबंधी पांच (05) प्रस्तावों, लेटेरल शिफ्ट संबंधी चार (04) प्रस्तावों, समय-पूर्व प्रत्यावर्तन के दो (02) प्रस्तावों और कार्य विस्तार संबंधी सात (07) प्रस्तावों को मंत्रिमण्डल सचिव/एसीसी द्वारा अनुमोदन किया गया था। इसके अतिरिक्त, डीएस/निदेशक स्तर पर सीवीओ के रूप में चार (04) अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
4. सूचना का अधिकार (केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद का कार्यकाल, वेतन, भत्ता और अन्य निबंधन एवं शर्त), नियमावली, 2019 को 24.10.2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-।।, खण्ड-3, उप खण्ड (i) में अधिसूचित किया गया।
5. आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधान को लागू करने के लिए अधिसूचना को भारत के राजपत्र , असाधारण,भाग-।।, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में दिनांक 24.10.2019 को प्रकाशित किया गया।
6. अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के पद का अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव, डीओपीटी को तत्काल प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए अथवा पद पर नियमित उम्मीदवार की नियुक्ति होने तक , अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, दिनांक 03.10.2019 के आदेश सं. 24011/03/2018-स्था.(ख) द्वारा सौंपा गया।
7. केंद्र सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे गैर -सांविधिक विभागीय जलपान गृहों में कार्यरत सहायक हलवाई-सह-रसोईया तथा हलवाई-सह-रसोईया को 1000/- रुपए की दर से कुकिंग भत्ता प्रदान किया गया।
8. संयुक्त स्नातक परीक्षा, 2018 के लिए कर्मचारी चयन आयोग को सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में 955 रिक्तियां संसूचित की गई।
9. अक्तूबर माह के दौरान आईएसटीएम में 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें 02 सीएसएस-सीटीपी और 05 सीएसएसएस-सीटीपी कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में प्रतिभागियों की संख्या 681 रही।

10. सिविल सेवा परीक्षा-2018 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा आबंटित किए गए अभ्यर्थियों को संवर्ग आबंटन दिनांक 17.10.2019 को किया गया।

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित अनुदेश/दिशा-निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गएः-

क) दिनांक 22.10.2019 के का.ज्ञा. सं. 35034/3/2015-स्था.(घ) द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति स्कीम के संबंध में समेकित दिशा-निर्देश।

ख) दिनांक 07.10.2019 के का.ज्ञा.सं. 12/3/2016-जेसीए-2 द्वारा हरियाणा और महाराष्ट्र के विधान सभा के आम चुनाव में चुनावी दिवस 21.10.2019 (सोमवार) को कर्मचारियों को प्रदत्त अवकाश प्रदान करना।